



के.मा.शि.बो. से संबद्ध विद्यालयों के प्रमुख

विषय : 'राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस' कार्यक्रम में सहभागिता के संदर्भ में।


भारत के बच्चों के कृमि मुक्त भविष्य के प्रति भारत सरकार प्रतिबद्ध है। देश में आंत्र कृमि और संबंधित रोग का भार कम करने के क्रम में, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधीन 'विद्यालयी शिक्षा और साक्षरता विभाग' तथा 'महिला एवं बाल विकास मंत्रालय' के समर्थन से 'स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय' ने पूरे देश में राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस (एन.डी.डी.) शुरू किया है, जहाँ 1-19 वर्ष की उम्र के सभी बच्चों को विद्यालयों और आंगनवाड़ी केंद्रों के मंच के माध्यम से कृमि मारक दवा की गोली दी जाती है।

फरवरी 2018 के दौरान पूरे देश में एन.डी.डी. चक्र को कार्यान्वित किया जाएगा। एक विस्तृत एन.डी.डी. उपकरण-किट जिसमें परिचालन संबंधी दिशानिर्देश, निगरानी जाँच सूची, प्रायः पूछे जाने वाले प्रश्न एवं उत्तर तथा तथ्य पत्र राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की वेबसाइट पर अपलोड किए गए हैं। के.मा.शि.बो. से संबद्ध विद्यालयों के सभी प्रमुखों से प्रभावी कार्यान्वयन और कार्यक्रम का दायरा बढ़ाना सुनिश्चित करना अपेक्षित है।

एन.डी.डी. चक्र के दौरान कृमि मारक दवा की गोली लेने वाले लक्षित बच्चों तक प्रभावी दायरा बढ़ाने के लिए निम्नलिखित चरणों का सुझाव दिया जाता है :

1. राष्ट्रीय स्वास्थ्य [redacted] शानुसार 10 फरवरी, 2018 को आपके विद्यालय के सभी बच्चों (1-19 वर्ष तक) को कृमि मारक दवा (अल्बेंडाजॉल 400mg) की एक गोली चबाकर खाना सुनिश्चित करें। वेबसाइट : <http://nhm.gov.in/nrhm-components/rmnch-a/child-health-immunization/national-deworming-day-2016/national-deworming-day-february-2018.html>
2. यदि कोई बच्चा/बच्ची 10 फरवरी को दवा नहीं ले सका/सकी तो कृपया 15 फरवरी, 2018 को माँप-अप दिवस पर उन्हें कृमि मारक दवा देना सुनिश्चित करें।
3. किसी भी जिज्ञासा के लिए कृपया श्री रतिश कुमार, सलाहकार (एन.डी.डी.) से संपर्क करें।
संपर्क सूत्र : 9871190397, ratish.nddmohfw@gmail.com

कार्यक्रम के सफल कार्यान्वयन के लिए आपका समर्थन और सहयोग अपेक्षित है।


(डॉ. सयम भारद्वाज)
निदेशक (शैक्षणिक)



केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड
CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION

प्रतिलिपि :

1. एस.पी.एस., सचिव, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली
2. उपायुक्त (बाल स्वास्थ्य), स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, निर्माण भवन, दिल्ली

सूचनार्थ

प्रतिलिपि : संबंधित निदेशालयों / के.वी.एस. / एन.वी.एस. / सी.टी.एस.ए. के प्रमुखों को उनके अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत सभी संबंधित विद्यालयों को सूचना का प्रसार करने के लिए :

3. आयुक्त, के.वी.एस., 18-संस्थागत क्षेत्र, शहीद जीत सिंह मार्ग, नई दिल्ली।
4. आयुक्त, एन.वी.एस., बी -15, सेक्टर -62, इंस्टीट्यूशनल एरिया, नोएडा।
5. शिक्षा निदेशक, शिक्षा निदेशालय, दिल्ली सरकार, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, पुराना सचिवालय, दिल्ली।
6. लोक निर्देश निदेशक (विद्यालय) संघ राज्य क्षेत्र सचिवालय, सेक्टर 9, चंडीगढ़ के निदेशक।
7. शिक्षा निदेशक, सिक्किम सरकार, गंगटोक, सिक्किम।
8. विद्यालयी शिक्षा निदेशक, अरुणाचल प्रदेश सरकार, इटानगर।
9. शिक्षा निदेशक, अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह सरकार, पोर्ट ब्लेयर।
10. शिक्षा निदेशक, एस.आई.ई., सी.बी.एस.ई. सेल, वी.आई.पी. रोड, जंगली घाट, पी.ओ. 744103, दिल्ली।
11. सचिव, केंद्रीय तिब्बती स्कूल प्रशासन, ई.एस.एस. प्लाजा, सामुदायिक केंद्र, सेक्टर 3 रोहिणी, दिल्ली।
12. अतिरिक्त महानिदेशक, सेना शिक्षा, ए-विंग, सेना भवन, डी.एच.क्यू., पी.ओ., नई दिल्ली।
13. सचिव ए.डब्ल्यू.ई.एस., एम.ओ.डी. (सेना) की एकीकृत मुख्यालय, एफ.डी.आर.सी. बिल्डिंग नंबर 202, शंकर विहार (ए.पी.एस. के पास), दिल्ली।
14. ई.ओ., अध्यक्ष, के.मा.शि.बो.
15. एस.पी.एस., सचिव, के.मा.शि.बो.
16. एस.पी.एस., परीक्षा नियंत्रक, के.मा.शि.बो.
17. एस.पी.एस., निदेशक (सूचना प्रौद्योगिकी)
18. एस.पी.एस., निदेशक (विशेष परीक्षाएं, सी.टी.ई.टी.)
19. जन संपर्क अधिकारी, के.मा.शि.बो.
20. के.मा.शि.बो. के सभी क्षेत्रीय निदेशकों / क्षेत्रीय अधिकारी को इस आग्रह के साथ कि वे अपने संबंधित क्षेत्रों में बोर्ड से संबद्ध विद्यालयों के सभी प्रमुखों को इस सूचना को प्रेषित करें।
21. सभी निदेशक/संयुक्त निदेशक/उप निदेशक/सहायक निदेशक, के.मा.शि.बो.।
22. हिंदी अधिकारी, के.मा.शि.बो.।
23. सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष, के.मा.शि.बो.।
24. सूचना प्रौद्योगिकी के प्रभारी अधिकारी को अनुरोध के साथ कि इस परिपत्र को के.मा.शि.बो. की वेबसाइट पर अपलोड करें।

(डॉ. संयम भारद्वाज)
निदेशक (शैक्षणिक)